न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1291–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–13 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर प्रकरण क्रमांक 118/बी–121/2011–12.

———

परमाल सिंह पुत्र गोरेलाल रघुवंशी
निवासी ग्राम सावन तहसील व
जिला अशोकनगर म.प्र.
——— आवेदक

विरूद्ध

1– म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर

2– फेरन सिंह पुत्र जुगता चमार
निवासी ग्राम सावन तहसील
व जिला अशोकनगर म.प्र.
——— असल अनावेदकगण

3– हबीव बेव पुत्र बाबू बेग जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सावन तहसील
व जिला अशोकनगर म.प्र.
——— तरतीवी अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता, श्री जी. पी. नायक ।
अनावदक क्र. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 25–6–2014 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर, जिला अशोकनगर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 118/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–1–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 2 फेरनसिंह को ग्राम वीरपुर स्थित शासकीय भूमि सर्वे न. 130/2 रकबा 1.045 हैक्टर तथा भूमि सर्वे नं.

115/2 रकबा 1.000 हैक्टर का पट्टा दिया गया था । उक्त भूमि शासकीय अभिलेख में पट्टाधारी फेरनसिंह के नाम इन्द्राज होकर अहस्तांतरणीय के रूप मे दर्ज है । इन भूमियों में से उसके द्वारा सर्वे न. 130/2 मिन को नियमों के आवेदक को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये विक्रय कर दिया । विक्रयपत्र के आधार पर केता का नामांतरण भी हो गया । अनावेदक कमांक 3 द्वारा शिकायत के आधान पर कलेक्टर, अशोकनगर ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आलोच्य आदेश द्वारा विक्रय पत्र को शून्य घोषित करते हुए भूमि का शासकीय दर्ज करने के आदेश दिए हैं । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किए गए हैं ।

4– अनावेदक क्र. 3 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में कलेक्टर के आदेश कोउचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अनावेदक क्र. 3 द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण शासकीय पट्टे की भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के विक्रय करने के संबंध में है । प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि का बंटन कर अनावेदक क्र. 2 को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दिया गया था जो अहस्तांतरणीय के रूप में दर्ज थी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 250 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) 158(3) तथा 165(7) (ख) – धारा 158 (3) के अधीन भूमि का अंतरण – धारा 165 (7) (ख) के उपबंधों के अध्यधीन है अर्थात कलेक्टर की अनुज्ञा आज्ञापक है । न्यायदृष्टांत 2009 आर0एन0 187 जो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर आधारित है में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 165 (7) (ख), 158 (3) तथा 110 शासकीय भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई, 10 वर्ष उपरांत पट्टेदार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये तब भी ऐसी भूमि का अंतरण जिलाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है । यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायदृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए यह

पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेष है उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर